

मीना / हकीमुद्दीन - 76/2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25/9/24	<p>५२११११११। वकील अपीलान्त न उपास्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत हैं। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तयमील दफ्तरील दाखिल दफ्तरील हो।</p> <p>भूपबन्ध अधिकारी एवं पवेन्द्रे राजखर अपीलान्त अधिकारी सिम्मीकर (कम्प्युटर ऑपरेटर)</p>	<p>Not press अपील नोट प्रेस चाहते हैं।</p> <p>मीना</p> <p>25/9/24</p>